**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2401**

**दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ**

**भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा**

**2401. सुश्री इकरा चौधरी:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा (आईसीएम) शुरू करने के लिए क्या विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इसके कार्यान्वयन में कोई विलंब न हो;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत विचार किए जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और योजना के विभिन्न चरणों में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किए जा रहे निकायों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) यह रूपरेखा उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों की भागीदारी को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है और लघु तथा मध्यम उद्यमों पर असंगत रूप से भार डाले बिना अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र विकसित किया जा रहा है?

**उत्तर**

**विद्युत राज्य मंत्री**
**(श्री श्रीपाद नाईक)**

**(क) :** कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस), जो भारतीय कार्बन बाजार के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है, को जून, 2023 में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (संशोधित) के तहत दिसंबर 2023 में संशोधित किया गया है। सीसीटीएस दो तंत्र अर्थात् अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र प्रदान करता है, । मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसियों के लिए मान्यता प्रक्रिया और पात्रता मानदंड पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं। अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत प्रक्रिया भी प्रकाशित की गई है। ऑफसेट तंत्र के तहत विस्तृत प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली वर्तमान में विकसित की जा रही हैं। अनुपालन तंत्र के तहत कार्बन क्रेडिट का व्यापार वर्ष 2026-27 में शुरू होने की उम्मीद है।

**(ख)** : अनुपालन तंत्र में वर्तमान में एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर-क्षार, उर्वरक, लोहा एवं इस्पात, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, लुगदी एवं कागज तथा कपड़ा क्षेत्र शामिल हैं। ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत स्वीकृत क्षेत्र ऊर्जा, उद्योग, कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान, वानिकी, परिवहन, फ़्यूजिटिव उत्सर्जन, निर्माण, विलायक उपयोग, कार्बन कैप्चर, CO2 का उपयोग एवं भंडारण तथा अन्य निष्कासन हैं।

**(ग) :** अनुमान है कि लगभग 795 बाध्यकारी संस्थाएँ सीसीटीएस के अनुपालन तंत्र के अंतर्गत आती हैं। राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

| **राज्य** | **बाध्य संस्थाएं** |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 41 |
| असम | 8 |
| बिहार | 5 |
| छत्तीसगढ़ | 76 |

| | |
|---|---|
| गोवा | 5 |
| गुजरात | 101 |
| हरियाणा | 12 |
| हिमाचल प्रदेश | 14 |
| जम्मू कश्मीर | 1 |
| झारखंड | 25 |
| कर्नाटक | 55 |
| केरल | 4 |
| मध्य प्रदेश | 33 |
| महाराष्ट्र | 48 |
| मेघालय | 10 |
| ओडिशा | 83 |
| पंजाब | 28 |
| राजस्थान | 70 |
| तमिलनाडु | 49 |
| तेलंगाना | 26 |
| संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी | 2 |
| उत्तर प्रदेश | 45 |
| उत्तराखंड | 7 |
| पश्चिम बंगाल | 47 |
| **कुल योग** | **795** |

**(घ) :** अनुपालन तंत्र के तहत, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (जीईआई) लक्ष्य केवल उन बाध्य संस्थाओं को दिए जाते हैं जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत निश्चित सीमा से अधिक है। अनुपालन तंत्र के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए वर्तमान ऊर्जा खपत सीमाएँ निम्नानुसार हैं:

| **क्र.सं** | **क्षेत्र** | **अंतिम सीमा (तेल समतुल्य टन)** |
|---|---|---|
| 1 | एल्युमिनियम | 7500 |
| 2.1 | सीमेंट (एकीकृत) | 30000 |
| 2.2 | सीमेंट (पीसने वाला) | 10000 |
| 3 | क्लोर - क्षार | 7500 |
| 4 | उर्वरक | 30000 |
| 5 | लोहा और इस्पात | 20000 |
| 6 | पेट्रोकेमिकल | 100000 |
| 7 | पेट्रोलियम रिफाइनरी | 90000 |
| 8 | लुगदी और कागज | 7500 |
| 9 | वस्त्र | 3000 |

इसके अलावा, विभिन्न बाध्यकारी संस्थाओं के लिए जीईआई लक्ष्यों को अंतिम रूप देते समय, बाध्यकारी संस्थाओं की सुविधा में संभावित प्रौद्योगिकीय उपायों की सीमांत कटौती लागत को ध्यान में रखा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी संस्थाओं को प्राप्त करने योग्य लक्ष्य दिए जाएं।

**********